तीन साल में एनडीपीएस के 18497 प्रकरण दर्ज, 27473 आरोपी गिरफ्तार

मुख्यमंत्री के ''नशा मुक्त राजस्थान'' अभियान में अवैध कारोबार में प्रयुक्त 13620 वाहन जब्त हुए

जयपुर, 23 नवम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के संकल्प पर तेजी से कार्य करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध उत्पादन एवं नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के विरुद्ध निरंतर सख्त कार्रवाई की जा रही है। गत 3 वर्षों में प्रदेश में व्यापक स्तर पर मादक पदार्थों की जब्ती और अपराधियों को गिरफ्तार, कर अवैध नशे के नेटवर्क पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई है।

एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने वर्ष 2024 से 2026 (अक्टूबर) तक एनडीपीएस एक्ट के तहत 18 हजार 497 प्रकरण दर्ज कर 27 हजार 473 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस अवधि में लगभग 2 हजार 445 करोड़ रुपये मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं।

वहीं, नशे के अवैध कारोबार में प्रयुक्त 13 हजार 620 वाहन भी जब्त किए गए है।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा।

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि वर्ष 2026 में नशे के अवैध कारोबार के 7044 प्रकरण दर्ज हुए, जो वर्ष 2024 की तुलना में 34 प्रतिशत अधिक हैं।**

प्रदेश भर के जिलों, विशेषकर सीमावर्ती, में नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध सघन कार्रवाहियों को निरंतर गति प्रदान की जा रही है।

वर्ष 2026 में ही 7 हजार 44 प्रकरण दर्ज किए गए, जो वर्ष 2024 की तुलना में लगभग 34 प्रतिशत अधिक हैं। इसी प्रकार, मादक पदार्थों की अवैध खेती और उत्पादन के नेटवर्क को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रभावी कार्रवाई करते हुए, गत 3 वर्षों में कुल 288 प्रकरण दर्ज किए गए हैं।

कोटा की 270 एकड़...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

से वहां औद्योगिक कार्य शुरू करना चाह रही थी, परंतु शहर के बीचों बीच होने के कारण भूमि को पर्यावरणीय स्वीकृतियां नहीं मिल रही थी।

कंपनी की तरफ से कहा गया कि बार बार राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजना यही दर्शाता है कि अराफात ने उक्त भूमि पर औद्योगिक गतिविधि शुरू करने का पूरा प्रयास किया, परंतु राज्य सरकार ही मनमाने तरीके से प्रस्तावों को खारिज करती रही है, जिससे कंपनी अपने उद्देश्य में विफल होगई। दूसरी ओर, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि कंपनी उक्त भूमि पर चल रही सात फैक्ट्रियों में से केवल एक को ही कुछ समय के लिए शुरू कर पाई और आग लगने की वजह से वो भी 6 महीने के भीतर ही बंद हो गई। उन्होंने कहा कि इतने वर्षों में जे के सिंथेटिक के 2000 से भी अधिक कर्मचारियों को अराफात रोजगार नहीं दे पा रही है और यह उनके साथ किए गए समझौते का उल्लंघन है।

अदालत ने इस तर्क को भी माना कि कलेक्टर ने कंपनी के विभिन्न प्रस्तावों को खारिज करते समय सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं किया है क्योंकि अंतोगत्वा राज्य सरकार को ही किसी भी नई इंडस्ट्री की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति देनी है।

इन्टरनेशनल कोर्ट ऑफ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लेकिन समय के साथ, मुस्लिम समुदाय के रोहिंग्या लोगों को म्यांमार के बौद्ध बहुसंख्यक समुदाय की ओर से बढ़ती सख्ती और दमन का सामना करना पड़ा।

1982 में, जब देश में सैन्य शासन था, एक कठोर नागरिकता कानून लागू किया गया। इसके कारण अधिकांश रोहिंग्या लोगों की नागरिकता समाप्त हो गई और वे देशविहीन हो गए। हालांकि, न्यायालय ने विशेष रूप से 2016 और 2017 की घटनाओं पर ध्यान केन्द्रित किया। उस दौरान म्यांमार ने रोहिंग्या समुदाय को देश से बाहर निकालने के लिए एक सुनियोजित अभियान चलाया था। न्यायालय ने अब इसे एक संगठित अभियान करार दिया है, जिसमें लोगों की हत्या, महिलाओं के साथ बलात्कार और गांवों को तबाह करना शामिल था। यह अभियान अपने उद्देश्य में सफल रहा। अंततः 10 लाख से अधिक रोहिंग्या पड़ोसी देश बांग्लादेश भाग गए, जहां वे आज भी रह रहे हैं। म्यांमार ने आरोपों को खारिज करते हुए दलील दी कि उसकी कार्रवाई आतंकवाद विरोधी अभियान का हिस्सा थी। उसके अनुसार, यह अभियान उन रोहिंग्या उग्रवादियों के खिलाफ चलाया गया था, जिन्होंने उसकी सुरक्षा चौकियों पर हमले किए थे। लेकिन न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। उसने ऐसे कई सबूतों पर विचार किया, जिनमें बच्चों पर हमले और सुरक्षा बलों की ओर से भाग रहे रोहिंग्या लोगों पर व्यवस्थित तरीके से गोली चलाने की घटनाएं शामिल थीं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष न्यायाधीश यूजी इवासावा ने फैसले का अंश पढ़ते हुए कहा, ''म्यांमार की कार्रवाहियों की व्याख्या करने वाला एकमात्र तर्कसंगत निष्कर्ष यही है कि उसका उद्देश्य इस समुदाय के एक बड़े हिस्से को नष्ट करना था।''

म्यांमार की तरह इज़रायल ने भी नरसंहार के आरोपों को सख्ती से खारिज किया है। उसका कहना है कि उसकी कार्रवाई आतंकवाद विरोधी अभियान थी, जिसका उद्देश्य हमास को खत्म करना था। इज़रायल का आरोप है कि हमास ने व्यवस्थित तरीके से फिलिस्तीनी नागरिकों के बीच अपनी गतिविधियां चलाईं। वहीं, आलोचकों का कहना है कि गाज़ा में आम नागरिकों की मौत और बड़े पैमाने पर हुई तबाही ने नैतिक और कानूनी सीमाओं का उल्लंघन किया है।

म्यांमार के खिलाफ फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने माना कि किसी विद्रोह को दबाने के लिए की गई कार्रवाई के पीछे भी ''नरसंहार का इरादा'' हो सकता है, जैसा कि अंतरराष्ट्रीय कानून के एक प्रोफेसर ने कहा कि आरोन न्यायालय ने ''नरसंहार के इरादे'' को साबित करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले सबूतों का दायरा भी बढ़ाया।

यूपी में सीट -शेयरिंग...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में खास तौर पर गांधी परिवार के गढ़ अमेठी और रायबरेली की सभी विधानसभा सीटें शामिल हैं, जबकि मैनपुरी और इटावा जैसे समाजवादी पार्टी के मजबूत क्षेत्रों को छोड़ दिया गया है।

दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी अपनी सूची सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक, पार्टी ने कांग्रेस के लिए लगभग 54 सीटों की पेशकश की है या उन्हें प्राथमिकता दी है। इनमें ऐसे विधानसभा क्षेत्रों पर जोर दिया गया है, जहां कांग्रेस का संगठन मजबूत है या जहां पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा है।

दोनों पक्षों ने इस बात पर जोर दिया कि सीटों का फैसला सीटों की संख्या पर अड़ने के बजाय, उम्मीदवारों की जीतने की संभावना के आधार पर किया जाएगा। बताया जाता है कि कांग्रेस लगभग 55-60 विधानसभा सीटों की अपनी ए-लिस्ट को लेकर विशेष रूप से दृढ़ है। इस सूची को तैयार करने में 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन, कुछ समुदायों के बीच उसके पारंपरिक समर्थन और प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों में उसके चुनावी प्रदर्शन को आधार बनाया गया है।

अगली बैठक मंगलवार, 24 नवंबर को उसी स्थान पर होगी। नेताओं के अनुसार, इस बैठक में दोनों पक्षों की ओर से सौंपी गई सूचियों की विधानसभा क्षेत्र के अनुसार विस्तार से समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही, पिछले चुनावों में मतदान के रुझानों से जुड़े आंकड़ों पर चर्चा होगी और मतभेदों को कम करने के लिए आगे बातचीत की जाएगी।

पिछले सप्ताह का खलनायक,...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

होता, अगर अमेरिकी सरकार हुआंग के प्रति इतना सहानुभूतिपूर्ण रुख नहीं रखती। बताया जाता है कि ट्रंप खुद भी बोर्ड के कुछ सदस्यों के संपर्क में थे।

ऐसी खबरें हैं कि अमेरिकी सरकार ने हुआंग को फिर से पद पर बहाल करने के लिए अपना प्रभाव काम में लिया था, और खुद ट्रंप ने भी इसके लिए जोर दिया था। ज्ञातव्य है कि हुआंग ने तब इस्तीफा दिया था, जब ऐसी खबरें सामने आई थीं कि उनके एक चीनी महिला के साथ करीबी संबंध थे, जो असल में एक जासूस के रूप में काम कर रही थी। संदेह था कि हुआंग की इस महिला मित्र ने चीन के लिए ए.आई. एप्लिकेशन से जुड़ी सबसे एडवांस चिप्स हासिल करने का काम किया था। जेनसन हुआंग और एलिस हुआंग नाम की उस चीनी महिला के संबंधों की खबर ने सुरक्षा अधिकारियों और एजेंसियों में चिंता पैदा कर दी थी। यह मामला काफी चर्चा में रहा था। चीनी महिला एलिस हुआंग ने छोटे स्तर से शुरुआत की थी, लेकिन कुछ ही वर्षों में वह इस क्षेत्र की प्रमुख खिलाड़ी बन गई थी।

एलिस हुआंग ने अपनी जासूसी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सिंगापुर में एक नई कंपनी बनाई थी। उसकी पहले वाली कंपनी चीन के मेनलैंड में स्थित थी, तथा सुरक्षा एजेंसियां उस पर आसानी से नजर रख सकती थीं। इसलिए एलिस ने चीन से अपना कनैक्शन छिपाने के लिए सिंगापुर में एक शैडो कंपनी बनाई।

सिंगापुर में स्थित एलिस की कंपनी, मैगास्पीड, आकार में काफी छोटी थी, लेकिन उसे दुनिया की सबसे उन्नत चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया तक सीधी पहुंच हासिल थी, जिसके लिए उसे कतार में लगने या खास मशक्कत करने की ज़रुरत नहीं पड़ती थी। 'मैगास्पीड' को बिना किसी इंतज़ार या अतिरिक्त कोशिश के, एनवीडिया के सबसे उन्नत चिप्स नियमित रूप से मिल जाते थे।

यहां तक कि मैगास्पीड ने करीब 4 अरब डॉलर की कीमत के सबसे बेहतरीन एनवीडिया चिप्स खरीद लिए। बाद में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पुष्टि की कि ये चिप्स चीन के आर्टिफिशल इंटैलिजैंस से जुड़े कुछ विशेष समूहों तक पहुंच गए।

कुछ लोगों का मानना है कि इस पूरे मामले में अमेरिकी प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों के अपने कुछ कारोबारी हित भी जुड़े हुए थे। इन कारोबारों के जरिए कुछ लोगों ने खूब पैसा कमाया है।

यूपी पर सपा-...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अगले दो-तीन दिनों में सीटों के बंटवारे पर चर्चा पूरी कर ली जाएगी। बैठक में इस बिन्दु पर चर्चा नहीं होगी कि दोनों दल कितनी-कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।

बार एसोसिएशन चुनाव...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नहीं किए जाने चाहिए, कई अधिवक्ताओं का कहना था कि अगर मुद्दा यहीं तक सीमित है कि केवल हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग वकील ही चुनाव में भाग ले और ऐसे लोग, जिनके पास केवल वकालत की डिग्री है और एसोसिएशन के सदस्य बन गए है, उन्हें बार की राजनीति से दूर रखा जाए तो इस संदर्भ में बार के सदस्य को एक जनरल हाउस मीटिंग बुला कर नियम तय करने चाहिए। कई वकीलों का कहना था कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में कई वरिष्ठ अधिवक्ता ऐसे भी हैं, जिन्होंने 30 से 50 साल तक कोर्ट में अपनी सेवाएं दी हैं। परंतु स्वास्थ्य के चलते या अन्य कारणों की वजह से अब कोर्ट में कम आते है तो क्या उन्हें भी वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या उनसे वकालतनामा मांगने की शर्त उचित है? एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि चुनाव में मतदाताओं पर नहीं, बल्कि उमीदवारों पर नियम लगाना चाहिए कि केवल ऐसे ही वकील बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों पर चुनाव के लिए खड़े हो सकें, जिन्होंने कम से कम 10 या 15 वर्ष अदालत में नियमित प्रेक्टिस की हो।

गौरतलब है कि बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए 2 नवंबर को नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद चुनाव समिति ने 3 व 4 नवंबर को नोटिस जारी कर मतदान के लिए दो मुकदमों के वकालतनामे या दो पेशियों में अदालत के समक्ष पेश होने का प्रमाण पत्र जरूरी कर दिया। इस पर आई आपत्तियों के बाद समिति ने 17 नवंबर को अधिसूचना जारी कर यह शर्त हटा दी, जिसे एकलपीठ में याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी।

SBI
भारतीय स्टेट बैंक
केन्द्रीय भर्ती एवं पदोन्नति विभाग, कॉरपोरेट केंद्र, मुंबई
फोन: 022-22820427

आवेदन के लिए क्यूआर स्कैन करें

निश्चित अवधि के रोज़गार आधार पर विशेषज्ञ संवर्ग अधिकारियों की भर्ती

निश्चित अवधि आधार पर निम्नलिखित पद के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित कि जाते हैं.

विज्ञापन सं.: CRPD/SCO/2026-27/36 (निश्चित अवधि)

पद का नाम	रिक्ति	आयु (31.10.2026 तक) अधिकतम
महाप्रबंधक एवं प्रमुख-सीएसटीआरए (साइबर सिक्योरिटी और टेक रिस्क एश्योरेंस)	1	50 साल

पात्रता मानदंड (आयु, अनुभव, जॉब प्रोफाइल आदि), रिक्ति विवरण, आवश्यक शुल्क एवं अन्य विवरण के लिए बैंक की वेबसाइट **https://sbi.bank.in/web/careers/current-openings** पर लॉग ऑन करें, जहाँ उपरोक्त विस्तृत विज्ञापन उपलब्ध हैं. इसके साथ आवेदन को ऑनलाइन जमा करने और साथ ही साथ आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने हेतु एक लिंक भी दी गई है. आवेदन करने और शुल्क भेजने से पहले अपनी पात्रता सुनिश्चित करने एवं अन्य विवरणों के लिए विस्तृत विज्ञापन पढ़ें. कोई अन्य पूछताछ करने के लिए कृपया **"CONTACT US"→"Post Your Query"** लिंक के माध्यम से हमें लिखें, जो कि बैंक की वेबसाइट (**https://sbi.bank.in/web/careers/post-your-query**) पर उपलब्ध है.

- **आवेदन ऑनलाइन जमा करने और शुल्क का भुगतान करने की तिथि : 19.11.2026 से 03.12.2026 तक.**

स्थान: मुंबई
दिनांक: 19.11.2026
महाप्रबंधक (आरपी एंड पीएम)



राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- प्लाट नम्बर H1-4, इन्डस्ट्रीयल एरिया फैस प्रथम, जालौर, (राज.) फोन नम्बर 226422, 226423, जालौर। फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908